राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर पीठ

खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 351/2021

1. अंकित खंडेलवाल पुत्र श्री घनश्याम प्रसाद गुप्ता जो वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में यूडीसी के रूप में तैनात हैं, को क्षेत्रीय निदेशक-302006 के माध्यम से।

2. यगवीर शर्मा पुत्र श्री सुभाष शर्मा जो वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में यूडीसी के रूप में तैनात हैं, को क्षेत्रीय निदेशक-302006 के माध्यम से।

3. कृष्ण कुमार पुत्र श्री हेम राम जो वर्तमान में उप क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में यूडीसी के रूप में तैनात हैं, को क्षेत्रीय निदेशक-313001 के माध्यम से।

4. सचिन कुमार जायसवाल पुत्र श्री भगवान सिंह जो वर्तमान में शाखा कार्यालय, भरतपुर में यूडीसी के रूप में तैनात हैं, को क्षेत्रीय निदेशक-321001 के माध्यम से।

5. प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री रामनिवास शर्मा जो वर्तमान में उप क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर में यूडीसी के रूप में तैनात हैं, को क्षेत्रीय निदेशक-342006 के माध्यम से।

6. अजय कुमार यादव पुत्र श्री राम लाल याद जो वर्तमान में शाखा कार्यालय, भिवाड़ी में यूडीसी के रूप में तैनात हैं, को क्षेत्रीय निदेशक-301019 के माध्यम से।

7. पवन गुप्ता पुत्र श्री गिरिराज गुप्ता, जो वर्तमान में शाखा कार्यालय, भवानी मंडी में यूडीसी के रूप में तैनात हैं, को क्षेत्रीय निदेशक-320502 के माध्यम से।

8. आशुतोष गोयल पुत्र श्री अनिल कुमार गोयल, जो वर्तमान में उप क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में यूडीसी के रूप में तैनात हैं, को क्षेत्रीय निदेशक-313001 के माध्यम से।

9. कुलदीप सिंह बाघेला पुत्र श्री गिरधारी लाल बघेला जो वर्तमान में उप क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में यूडीसी के रूप में तैनात हैं, को क्षेत्रीय निदेशक-313001 के माध्यम से।

10. दिनेश कुमार चौधरी पुत्र श्री वेदपाल सिंह जो वर्तमान में उप क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में यूडीसी के रूप में तैनात हैं, को क्षेत्रीय निदेशक-313001 के माध्यम से।

11. हीरालाल पुत्र श्री लक्ष्मण राम, जो वर्तमान में उप क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर में यूडीसी के रूप में तैनात हैं, को क्षेत्रीय निदेशक-342006 के माध्यम से।

12. कु. शेफाली शर्मा पुत्री श्री चंद्र शेखर महर्षी जो वर्तमान में शाखा कार्यालय, कामधेनु कॉम्प्लेक्स में यूडीसी के रूप में तैनात हैं, को

क्षेत्रीय निदेशक-302001 के माध्यम से।

13. भीम सिंह चौधरी पुत्र श्री नैनराम चौधरी जो वर्तमान में उप क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर में यूडीसी के रूप में तैनात हैं, को क्षेत्रीय निदेशक-342006 के माध्यम से।

14. उजाला गर्ग पुत्र श्री विपिन गर्ग, जो वर्तमान में एसिक हॉस्पिटल, भिवाड़ी में यूडीसी के रूप में तैनात हैं, को क्षेत्रीय निदेशक-301019 के माध्यम से।

15. महिपाल छाबडा पुत्र श्री पुखराज जो वर्तमान में उप क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर में यूडीसी के रूप में तैनात हैं, को क्षेत्रीय निदेशक-342006 के माध्यम से।

16. मुनीन्द्र याग पुत्र श्री रतन लाल याग जो वर्तमान में उप क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में यूडीसी के रूप में तैनात हैं, को क्षेत्रीय निदेशक-313004 के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या

6 से 21

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग, भारत सरकार, पंचदीप भवन, कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली-110002 के माध्यम से।

2. महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.), पंचदीप भवन, कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली-110002।

3. क्षेत्रीय निदेशक, ई.एस.आई.सी., राजस्थान, पंचदीप भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302005.

4. उप निदेशक (प्रशासन), क्षेत्रीय निदेशक, ई.एस.आई.सी., राजस्थान, पंचदीप भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302005.

5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली-110001.

----आधिकारिक प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5

6. राजकुमार मीना पुत्र स्वर्गीय श्री लक्ष्मण मीना, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी वीपीओ दताली, गोनेर रोड, जयपुर, वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, राजस्थान (ग्रुप-सी) में यूडीसी के रूप में तैनात हैं।

7. जीतेन्द्र पाल पुत्र स्व. गुलाब चंद्र, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ई-811, अवधपुरी लाल कोठी योजना, टोंक रोड, जयपुर, वर्तमान में शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कामधेनु कॉम्प्लेक्स, जयपुर में यूडीसी के रूप में तैनात हैं।

8. दिनेश कुमार मीना पुत्र स्व. बृजलाल मीना, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी भोरी की कोठी वीपीओ मंडावरी, तहसील लालसोट (दौसा), वर्तमान में मॉडल अस्पताल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, लक्ष्मी नगर, सोडाला, जयपुर में यूडीसी के रूप में तैनात हैं।

9. सीताराम मीना पुत्र स्वर्गीय श्री तेजाराम मीना, वृद्ध लगभग 38 वर्ष, निवासी वीपीओ सोनद, तहसील रामगढ़, पचवारा, जिला दौसा, वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय, ईएसआईसी, जयपुर में यूडीसी में तैनात हैं।

10. हरलाल मीना पुत्र श्री रामचन्द्र मीना, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी बडाला की ढाणी, वीपीओ झार, तहसील बस्सी, जयपुर, वर्तमान में शाखा कार्यालय, प्रताप नगर, जयपुर में यूडीसी के रूप में तैनात हैं।

11. पंकज स्वामी पुत्र श्री चंद रतन स्वामी, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी II/5, ईपीएफओ कॉलोनी, शंकर नगर, जोधपुर, वर्तमान में उप क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर में यूडीसी के रूप में तैनात हैं।

12. विष्णु कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री हरि नारायण मीना, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी बाहरी दिल्ली गेट, खास स्कूल के पीछे, अलवर, वर्तमान में शाखा कार्यालय, ईएसआईसी, अलवर में यूडीसीसी के रूप में तैनात हैं।

13. धर्मेश गेहलोत (धर्म सिंह गेहलोत) पुत्र श्री गजे सिंह गेहलोत, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी जी.एस. भवन, मयाली मंडावता, पोस्ट मंडोर, जोधपुर, वर्तमान में उप क्षेत्रीय कार्यालय, ईएसआईसी, जोधपुर में यूडीसी के रूप में तैनात हैं।

14. धर्मेश गेहलोत (धर्म सिंह गेहलोत) पुत्र श्री गजे सिंह गेहलोत, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी जी.एस. भवन, मयाली मंडावता, पोस्ट मंडोर, जोधपुर, वर्तमान में उप क्षेत्रीय कार्यालय, ईएसआईसी, जोधपुर में यूडीसी के रूप में तैनात हैं।

15. हर्ष जांगिड़ पुत्र श्री सुनील कुमार शर्मा, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी बी-193, चंद्रवरदाई नगर, अहिल्या बाई मार्ग, अजमेर, वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जयपुर में यूडीसीसी के पद पर तैनात हैं।

16. जसराज सिंह राणावत पुत्र श्री दलपत सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी 488, बापू नगर एक्सटेंशन, पाली, राजस्थान, वर्तमान में शाखा कार्यालय, पाली, मारवाड़ में यूडीसी के रूप में तैनात हैं।

17. विकास कुमार मीना पुत्र स्वर्गीय श्री राजेन्द्र कुमार मीना, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम पाटन का बास, पोस्ट पाटन, तहसील रायसी, जिला अलवर, वर्तमान में ईएसआईसी अस्पताल, अलवर में यूडीसी के रूप में तैनात है।

18. राजीव कुमार यादव पुत्र श्री रोहिताश यादव, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी वीपीओ बावड सकतपुरा, तहसील मुंडावर, अलवर, वर्तमान में शाखा कार्यालय, बहरोड में यूडीसी के रूप में तैनात है।

19. राजेन्द्र कुमार डीगवाल पुत्र श्री बाबूलाल डीगवाल, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी 43, भुवनेश्वरी वाटिका, बजरी मंडी रोड, पांच्यावाला, वैशाली मार्ग-पश्चिम, जयपुर, वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय, ईएसआईसी, जयपुर में यूडीसी के रूप में तैनात है।

20. कपिल शर्मा पुत्र श्री टीकम चंद्र शर्मा, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी महेश नगर, राजगढ़ (अलवर), वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम जयपुर में यूडीसी के रूप में तैनात हैं।

21. जीतेन्द्र सिंह पुत्र धनपति देवी, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी मकान नं. 20/459, गली नं. 11, विजय नगर, रेवाडी, हरियाणा। वर्तमान में ईएसआईसी अस्पताल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भिवाडी (अलवर) में यूडीसी के रूप में तैनात है।

-----निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 से 21

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से	:	श्री आर.एन. माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता, उनके साथ श्री अनुराग कलावतिया, अधिवक्ता, श्री सुशील डागा, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री अनिल मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता, उनके साथ श्री बनवारी लाल, अधिवक्ता, श्री तेज प्रकाश शर्मा अधिवक्ता, संघ सरकार के लिए।

माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड

<u>आदेश</u>

आदेश आरक्षित करने की तारीख : 06 अप्रैल, 2022

आदेश उच्चारित करने की तारीख : 25 अप्रैल, 2022

<u>रिपोर्टेबल</u>

(निर्णय:अनूप कुमार ढंढ, न्यायमूर्ति)

यह त्वरित याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जयपुर पीठ, जयपुर (इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित दिनांक 15.12.2020 के आक्षेपित आदेश के विरूद्ध निर्देशित की गई है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 6 से 21 (इसके बाद 'निजी प्रत्यर्थीगण' के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर मूल आवेदन) को अनुमति दी गई है, विवादित मसौदा/अनंतिम वरिष्ठता

सूची को आपास्त किया गया है और आधिकारिक प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 5 को वर्तमान कानूनी स्थिति के आलोक में मसौदा वरिष्ठता सूची पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें शामिल हैं **सिविल अपील संख्या 8833-8835/2019 में के. मेघचंद्र सिंह एवं अन्य बनाम निंगम सिरो एवं अन्य, दिनांक 19.11.2019 को निर्णय लिया गया**, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय तथा निर्देश दिया गया है कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर एक नई वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाएगी।

मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि निजी प्रत्यर्थीगण ने इस तथ्य का उल्लेख करते हुए दिनांक 11.03.2020 की मसौदा वरिष्ठता सूची को रद्द करने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष एक मूल आवेदन प्रस्तुत किया कि वे लोअर डिवीजन क्लर्क/अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर वर्ष 2011/2012 और 2013 के दौरान गुजरात/पंजाब/महाराष्ट्र क्षेत्र में ईएसआई निगम में नियुक्त थे। अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण नीति (संक्षेप में 'आईआरटी नीति' के तहत) उन्हें अगस्त/अक्टूबर, 2016 के महीने में राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके अनुसार उन्होंने अगस्त, 2016 के महीने में अलग-अलग तारीखों को राजस्थान क्षेत्र में कार्यभार ग्रहण कर लिया। यह निजी प्रत्यर्थीगण का मामला था कि प्रत्यर्थी संख्या 2-महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम विभाग ने 05.03.2013 को सहायक संवर्ग तक के मंत्रालयिक कर्मचारियों के संबंध में एक अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण नीति जारी की, जिसमें यह प्रावधान है कि जिन अधिकारियों ने अपने वर्तमान क्षेत्र में परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि सहित तीन साल की सेवा पूरी कर ली है, केवल वे ही नीति के तहत अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। नीति का खंड 5 अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण मामलों की वरिष्ठता के निर्धारण के लिए मानदंड प्रदान करता है, जिसके अनुसार स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता प्राप्तकर्ता क्षेत्र में वर्ष के दौरान नियुक्त सभी कर्मचारियों से नीचे तय की जाएगी और मूल क्षेत्र की पारस्परिक वरिष्ठता अबाधित बनी रहेगी। यह निजी प्रत्यर्थीगण का मामला था कि वे उपरोक्त नीति के अनुसार अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण के लिए पात्र थे। इसलिए, उन्होंने गुजरात/पंजाब/महाराष्ट्र क्षेत्र से राजस्थान क्षेत्र में अपने स्थानांतरण की मांग की और उनके अनुरोधों को आधिकारिक प्रत्यर्थीगण द्वारा स्वीकार कर लिया गया और उन्हें दिनांक 15.07.2016 के आदेश के माध्यम से राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया और उन्होंने अगस्त/अक्टूबर, 2016 के महीने में अलग-अलग तारीखों पर राजस्थान क्षेत्र में अपना-अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया।

निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने मूल आवेदन में यह अनुरोध किया गया था कि राजस्थान क्षेत्र में स्टेनो, अपर डिवीजन क्लर्क (संक्षेप में 'यूडीसी') और एमटीएस के पद पर भर्ती के लिए एक संयुक्त विज्ञापन प्रत्यर्थी संख्या 3-क्षेत्रीय निदेशक, ईएसआई कॉर्पोरेशन, जयपुर द्वारा जारी किया गया था, जिसमें यूडीसी के पद के लिए रिक्तियां 81 दिखाई गई थीं और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 06.01.2016 थी। यूडीसी के पद के लिए परीक्षा मार्च, 2016 के महीने में आयोजित की गई थी। याचिकाकर्तागण का चयन किया गया और दिसंबर, 2017 के महीने में उन्हें नियुक्ति दी गई और इसके बाद सभी याचिकाकर्ता 29.12.2017/01.01.2018 को यूडीसी के पद पर सेवाओं में

शामिल हो गए।

इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 4-उप निदेशक, (प्रशासन), ईएसआईसी, राजस्थान ने 26.06.2019 को एक मसौदा वरिष्ठता सूची प्रकाशित की, जिसमें याचिकाकर्तागण को निजी प्रत्यर्थीगण से ऊपर रखा गया, जो आईआरटी नीति दिनांक 05.03.2013 का पूर्ण उल्लंघन है और सेवा न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों का भी उल्लंघन है जिनके अनुसार वरिष्ठता उस कर्मचारी को नहीं दी जा सकती जिसने कैडर में प्रवेश भी नहीं किया हो। निजी प्रत्यर्थी अपने स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.07.2016 के अनुसरण में अगस्त/अक्टूबर, 2016 के महीने में राजस्थान क्षेत्र में शामिल हुए, जबकि याचिकाकर्ता 29.12.2017/01.01.2018 को शामिल होने के बाद ही कैडर में शामिल हुए थे।

वरिष्ठता सूची के मसौदे के विरूद्ध, निजी प्रत्यर्थीगण ने 22/07/2019 को अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कीं, जिसमें कहा गया कि यह मसौदा वरिष्ठता सूची दिनांक 26.06.2019 आईआरटी नीति के विपरीत है और उन्होंने **प्रतिभा रानी और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2019 की सिविल अपील संख्या 3792, 10.04.2019 को निर्णीत** का निर्णय प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया कि अनुकंपा के आधार पर स्थानांतरण से पहले पिछले क्षेत्र में प्रदान की गई सेवाओं को पदोन्नति के लिए विचारार्थ पात्रता सेवा में गिना जाएगा। उनकी आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया और इसी बीच के. मेघचंद्र सिंह (सुप्रा.) का निर्णय आया जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:-

> *"ये तीन निर्णय और वरिष्ठता के निर्धारण के लिए कानून पर समान व्याख्या वाले अनेक अन्य निर्णय यह स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि सेवा न्यायशास्त्र के तहत, उस तारीख से वरिष्ठता का दावा नहीं किया जा सकता है जब पदधारी को अभी तक कैडर में शामिल नहीं किया गया है। हमारी सुविचारित राय में, इस मुद्दे पर विधि को जे.सी. पटनायक (सुप्रा.) में सही ढंग से घोषित किया गया है और परिणामस्वरूप हम एन.आर. परमार (सुप्रा.) में सुझाए गए परस्पर वरिष्ठता के मूल्यांकन पर मानदंडों को अस्वीकार करते हैं। तदनुसार, एन.आर. परमार के निर्णय को अपास्त कर दिया गया है। हालाँकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस निर्णय से पहले से ही एन.आर. परमार पर आधारित पारस्परिक वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वही संरक्षित है। यह निर्णय पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा, सिवाय इसके कि जहां रिक्ति की तारीख, विज्ञापन की तारीख से प्रासंगिक नियमों के तहत वरिष्ठता तय की जानी है।*

इसके बाद, कुछ निजी प्रत्यर्थीगण ने 22.11.2019 को उप निदेशक (प्रशासन), ईएसआईसी, राजस्थान को संबोधित करते हुए के मेघचंद्र सिंह (सुप्रा.) के उपरोक्त निर्णय पर उनका ध्यान आकर्षित किया और उनसे उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया। जब प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं लिया गया, तो निजी प्रत्यर्थीगण को यह आशंका थी कि आधिकारिक प्रत्यर्थीगण द्वारा डीपीसी नियमों और नीतियों और सेवा न्यायशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों और साथ ही आईआरटी नीति के विरुद्ध अंतिम वरिष्ठता सूची के निर्धारण

के बिना आयोजित की जाएगी। इसलिए, उन्होंने मूल आवेदन संख्या 291/777/2019 दाखिल करके न्यायाधिकरण से संपर्क किया और कहा कि दिनांक 26.06.2019 की वरिष्ठता सूची का मसौदा सेवा न्यायशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों के साथ-साथ आईआरटी नीति के विरूद्ध था। न्यायाधिकरण ने दिनांक 20.12.2019 के आदेश के तहत उक्त मूल आवेदन को समय से पहले मानते हुए इस प्रकार अपास्त कर दिया:-

> "कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.06.2019 के माध्यम से, प्रत्यर्थीगण ने अपर डिवीजन क्लर्क के कैडर की एक अस्थायी वरिष्ठता सूची प्रसारित की और 26.07.2019 तक सभी संबंधितों से आपत्तियां आमंत्रित की गईं।
>
> यह स्वीकार किया गया है कि आवेदकों ने निर्धारित अवधि के भीतर अस्थायी वरिष्ठता सूची के अनुसार अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत कर दी हैं। उक्त आपत्तियां अभी भी प्रत्यर्थीगण के पास लंबित हैं और उन्हें वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देना बाकी है।
>
> वर्तमान मूल आवेदन अस्थायी वरिष्ठता सूची को चुनौती देने वाले आवेदकों द्वारा दायर किया गया है।
>
> हमारे विचार में, मूल आवेदन समय से पहले होने के कारण पूरी तरह गलत है।
>
> तदनुसार, मूल आवेदन समयपूर्व होने के कारण अपास्त किया जाता है।

इसके बाद, दिनांक 26.06.2019 की मसौदा वरिष्ठता सूची पर निजी प्रत्यर्थीगण की आपत्तियों को प्रत्यर्थीगण द्वारा आदेश दिनांक 11.03.2020 द्वारा अपास्त कर दिया गया और फिर से दिनांक 11.03.2020 को एक मसौदा वरिष्ठता सूची तैयार की गई और जारी की गई। फिर से, निजी प्रत्यर्थीगण ने मूल आवेदन संख्या 194/2020 दाखिल करके न्यायाधिकरण से संपर्क किया। न्यायाधिकरण ने दिनांक 23.06.2020 के आदेश के तहत उक्त मूल आवेदन को अनुमति देते हुए आक्षेपित वरिष्ठता सूची को आपास्त कर दिया और आधिकारिक प्रत्यर्थीगण (प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5) को वर्तमान कानूनी स्थिति और के.मेघचंद्र सिंह (सुप्रा.) का निर्णय के आलोक में वरिष्ठता सूची के मसौदे पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया और तीन महीने की अवधि के भीतर एक नई वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने का निदेश दिया गया।

न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 23.06.2020 के उक्त आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्तागण ने अंकित **खंडेलवाल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (खंडपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 7187/2020)** के प्रमुख मामले के साथ रिट याचिकाओं के बैच दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसमें उल्लेख किया गया है कि वे न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षकार नहीं थे और उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला।

इस न्यायालय ने रिट याचिकाओं के बैच को अनुमति देते हुए

दिनांक 15.10.2020 के आदेश के तहत न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 23.06.2020 के आदेश को रद्द कर दिया और न्यायाधिकरण को दोनों पक्षों और दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद गुणागुण के आधार पर मामले को नए सिरे से निपटाने का निर्देश दिया। पक्षों को 19.10.2020 को न्यायाधिकरण के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उक्त मूल आवेदन का निपटारा करते हुए दिनांक 15.12.2020 के आदेश के तहत आक्षेपित वरिष्ठता सूची को आपास्त कर दिया और के. मेघचंद्र सिंह (सुप्रा.) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय सहित वर्तमान कानूनी स्थिति पर प्रकाश डालते हुए आधिकारिक प्रत्यर्थीगण (प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5) को वरिष्ठता सूची के मसौदे को फिर से देखने का निर्देश दिया गया और कहा गया कि वे आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर एक नई वरिष्ठता सूची प्रकाशित करें।

न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2020 के विरूद्ध याचिकाकर्तागण ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ त्वरित याचिका प्रस्तुत की है: -

> "कि यह मांनानीय न्यायालय कृपया निम्न आदेश जारी करने की कृपा करे:-
>
> i. एक उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करें जिससे विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा ओ.ए. क्रमांक 291/194/2020 मे राजकुमार मीना एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित आपेक्षित अंतिम आदेश दिनांक 15.12.2020 को रद्द कर दिया जाए।
>
> ii. विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 15.12.2020 के अनुसरण में कोई कार्रवाई न करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 को निर्देशित करते हुए एक उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करें और अंतिम आदेश दिनांक 15.12.2020 के अनुसरण में पारित किसी भी कार्रवाई/आदेश को भी कृपया रद्द किया जाए और आपास्त किया जाए;
>
> iii. एक उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करे, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 को निर्देश दिया जाए कि वे दिनांक 26.06.2019 (अनुलग्नक-3) की पहली मसौदा वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दें और इसमें याचिकाकर्तागण को प्रत्यर्थी संख्या के ऊपर वरिष्ठता प्रदान करें। यहां 6 से 21, और याचिकाकर्तागण को सहायक/प्रधान लिपिक के पद पर पदोन्नत करने के लिए वर्ष 2020 के लिए समीक्षा डीपीसी जल्द से जल्द आयोजित करने और याचिकाकर्तागण को उस तारीख से सभी परिणामी लाभ प्रदान करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 को भी निर्देशित किया जाए जिससे उनके समकक्षों को भारत में ईएसआईसी के अन्य क्षेत्रों में पदोन्नत किया गया है।
>
> iv. कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की तथ्यात्मक परिस्थितियों के तहत जारी करना उचित और युक्तियुक्त समझे, ताकि न्याय मिल सके;"

याचिकाकर्तागण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भले ही याचिकाकर्तागण की नियुक्ति 29.12.2017/01.01.2018 को हुई थी, लेकिन उन्हें वर्ष 2015-2016 की रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त किया गया था और इसीलिए उन्हें उन निजी प्रत्यर्थीगण की तुलना में वरिष्ठता में उच्च स्थान पर रखा गया, जिन्हें आईआरटी आदेश दिनांक 15.7.2016 के तहत राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया था और उसके बाद वे मौजूदा डीओपीटी नियमों दिनांक 04.03.2014 के अनुसार अगस्त/अक्टूबर, 2016 के महीनों में राजस्थान क्षेत्र में कार्यभार ग्रहण कर लिया था।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि न्यायाधिकरण का आदेश गलत है क्योंकि यह इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि वरिष्ठता सूची का मसौदा तैयार करते समय, उम्मीदवारों का भर्ती वर्ष प्रासंगिक है, न कि वह वर्ष जिसमें वे कैडर में शामिल हुए थे। अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि विवादित मसौदा वरिष्ठता सूची कार्यालय ज्ञापन दिनांक 4.3.2014 के अनुसार सख्ती से तैयार की गई थी, जो **भारत संघ और अन्य बनाम वी. एन.आर. परमार, 2012 (13) एससीसी 340 में रिपोर्ट किया गया**, के मामले में दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आधारित थी। अधिवक्ता ने आगे कहा कि जिस तारीख को वरिष्ठता सूची का मसौदा तैयार किया गया था, उस दिन एन.आर. परमार (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय लागू था, और, इसलिए, उक्त निर्णय के आधार पर वरिष्ठता सूची सही ढंग से तैयार की गई थी। उपरोक्त निर्णय को के. मेघचंद्र सिंह (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया था। हालाँकि, उक्त अधिनिर्णय प्रकृति में संभावित था, और इसलिए, एन.आर. परमार (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में जो वरिष्ठता पहले से ही तय की गई थी, वह बनाए रखी जाएगी। याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने के. मेघचंद्र सिंह (सुप्रा.) के निर्णय के पैराग्राफ 40 पर भरोसा जताया है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> "40. हमारी राय में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित एन. आर. परमार (सुप्रा.) में निर्णय एमपीएस नियम, 1965 द्वारा शासित मणिपुर राज्य पुलिस अधिकारियों पर स्वचालित रूप से लागू नहीं हो सकता है। हमारा यह भी मानना है कि एन.आर. परमार (सुप्रा.) ने, अन्य बातों के अलावा, जे.सी. पटनायक (सुप्रा.), सूरज प्रकाश गुप्ता एवं अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य एवं अन्य, (1991) 3 एससीसी 47 में रिपोर्ट किया गया तथा पवन प्रताप सिंह एवं अन्य बनाम रीवन सिंह एवं अन्य, (2011) 3 एससीसी 267 में रिपोर्ट किया गया, द्वारा प्रतिपादित लंबे समय से चले आ रहे वरिष्ठता निर्धारण सिद्धांतों को गलत तरीके से अलग किया था। ये तीन निर्णय और वरिष्ठता के निर्धारण के लिए कानून पर समान व्याख्या वाले अनेक अन्य निर्णय यह स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि सेवा न्यायशास्त्र के तहत, वरिष्ठता का दावा उस तारीख से नहीं किया जा सकता है जब पदधारी को कैडर में अभी तक शामिल नहीं किया गया है।

> हमारी सुविचारित राय में, इस मुद्दे पर कानून जे.सी. पटनायक (सुप्रा.) में सही ढंग से घोषित किया गया है और परिणामस्वरूप हम एन.आर. परमार (सुप्रा.)। में सुझाए गए अंतर-वरिष्ठता के मूल्यांकन पर मानदंडों को अस्वीकार करते हैं। तदनुसार, एन.आर. परमार में लिए गए निर्णय को अपास्त कर दिया गया है। हालाँकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस निर्णय से पहले से ही एन.आर. परमार पर आधारित पारस्परिक वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसे संरक्षित किया गया है। यह निर्णय आगामी प्रभाव से लागू होगा, सिवाय इसके कि जहां रिक्ति की तारीख/विज्ञापन की तारीख से प्रासंगिक नियमों के तहत वरिष्ठता तय की जानी है।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि के. मेघचंद्र सिंह (सुप्रा.) का निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं है क्योंकि उपरोक्त निर्णय में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि यह केवल आगामी प्रभाव से लागू होगा और यह वरिष्ठता निर्धारण के उन मामलों को प्रभावित नहीं करेगा जिनमें रिक्ति की तिथि/विज्ञापन की तिथि से प्रासंगिक नियमों के तहत वरिष्ठता तय की जानी है। अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि मसौदा वरिष्ठता सूची आधिकारिक प्रत्यर्थीगण द्वारा 26.6.2019 को एन.आर. परमार (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में और डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 4.3.2014 के अनुसार तैयार की गई थी, जो प्रासंगिक समय पर प्रभावी था। तदनुसार, सीधे भर्ती होने वाले याचिकाकर्तागण और आईआरटी वाले निजी प्रत्यर्थीगण के बीच वरिष्ठता इन प्रासंगिक नियमों के आलोक में प्रदान की जानी आवश्यक थी और याचिकाकर्तागण को निजी प्रत्यर्थीगण की तुलना में वरिष्ठता सूची में ऊपर दिखाया गया था। याचिकाकर्तागण की ओर से तर्क दिया गया कि विवादित मसौदा वरिष्ठता सूची अंतिम वरिष्ठता सूची है। चूंकि आधिकारिक प्रत्यर्थीगण द्वारा आमंत्रित आपत्तियों पर निर्णय लिया गया था, इसलिए, इसे अंतिम वरिष्ठता सूची माना जाना चाहिए। याचिकाकर्तागण की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि निजी प्रत्यर्थीगण की ओर से भी न्यायाधिकरण के समक्ष अपने मूल आवेदन में इस संबंध में अनुरोध किया गया है कि वरिष्ठता सूची का मसौदा अंतिम वरिष्ठता सूची है। याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि यदि न्यायाधिकरण के निर्देशों को लागू किया जाता है, तो यह याचिकाकर्तागण और निजी प्रत्यर्थीगण के बीच पारस्परिक वरिष्ठता को प्रभावित करेगा। अंत में, अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश गलत है और कानून की नजर में बनाए रखे जाने योग्य नहीं है।

इसके विपरीत, निजी प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2017/2018 के भर्तीकर्ता हैं, जबकि निजी प्रत्यर्थी वर्ष 2011/2012/2013 के भर्तीकर्ता हैं और आईआरटी आदेश के अनुसार, उन्हें 15.7.2016 को राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। और तदनुसार, वे क्रमशः अगस्त और अक्टूबर 2016 के महीनों में राजस्थान क्षेत्र में शामिल हो गए। निजी प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आईआरटी नीति के खंड 5 के अनुसार, मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण

मामलों की वरिष्ठता तय करने का मानदंड यह है कि स्थानांतरित व्यक्ति की वरिष्ठता वर्ष के दौरान नियुक्त सभी कर्मचारियों से नीचे तय की जाएगी। प्राप्तकर्ता क्षेत्र और आईटीआर नीति के खंड 5 के अनुसार, उन्हें वर्ष 2016 में वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा गया था, जब याचिकाकर्ता उक्त कैडर में भी नहीं थे। अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने के. मेघचंद्र सिंह (सुप्रा.) के मामले में एन.आर. परमार (सुप्रा.) के पहले के निर्णय को अपास्त कर दिया है। अब मसौदा वरिष्ठता सूची में निजी प्रत्यर्थीगण को उन अधिकारियों (याचिकाकर्तागण) से नीचे रखा गया है, जिन्होंने वर्ष 2017/2018 में सेवा प्रदान की थी और यह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन.आर. परमार (सुप्रा.) के मामले में दिए गए निर्णय के आधार पर किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि विवादित वरिष्ठता सूची एक मसौदा/अस्थायी/अनंतिम है और इसे अंतिम वरिष्ठता सूची नहीं माना जा सकता है। अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि मसौदा/अनंतिम वरिष्ठता सूची के विरूद्ध आपत्तियां/अभ्यावेदन आमंत्रित करने का उद्देश्य पीड़ित पक्ष की आपत्तियों पर निर्णय लेना है और आपत्तियों/अभ्यावेदन के निर्णय/निपटान के बाद अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार करना और जारी किया आवश्यक है। लेकिन, यहां मौजूदा मामले में, निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निपटान के बाद आधिकारिक प्रत्यर्थीगण द्वारा ऐसी कोई अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार या जारी नहीं की गई थी। अंत में, अधिवक्ता ने कहा कि इस याचिका में शामिल विवाद **यश रतन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 3576/2021, 09.04.2021 को निर्णय लिया गया**, के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय में शामिल है।

आधिकारिक प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि डीओपीटी द्वारा दिनांक 04.03.2014 को जारी ज्ञापन सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों की परस्पर वरिष्ठता से संबंधित है और इसे एन.आर. परमार (सुप्रा.) के मामले में दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में तैयार किया गया था। अधिवक्ता ने आगे कहा कि आईआरटी नीति के तहत वरिष्ठता के निर्धारण के लिए जारी निर्देश/दिशानिर्देश, अनुरोध पर स्थानांतरित होने वालों को प्राप्तकर्ता क्षेत्र में वर्ष के दौरान नियुक्त सभी कर्मचारियों से नीचे रखते हैं। अधिवक्ता ने आगे कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय की न्यायिक घोषणाओं और टिप्पणियों के अनुसार, उस तारीख से वरिष्ठता का दावा नहीं किया जा सकता है जब किसी पदधारी को कैडर में शामिल होना बाकी है। अपनी दलीलों के समर्थन में, अधिवक्ता ने यह कहा कि जब निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा आपत्तियां उठाई गईं, तो अधिकारियों द्वारा यह देखते हुए निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय निदेशक को मौजूदा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता थी।

अधिवक्ता ने आगे कहा कि न्यायाधिकरण ने आधिकारिक प्रत्यर्थीगण को वरिष्ठता सूची को फिर से देखने और निर्धारित समय के भीतर इसे नए सिरे से प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। इस प्रकार, आधिकारिक प्रत्यर्थी उक्त निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं/थे। अधिवक्ता ने आगे कहा कि निर्धारित मानदंडों के मद्देनजर, आधिकारिक प्रत्यर्थीगण को वरिष्ठता सूची के मसौदे के संबंध में आपत्तियां मांगने के लिए बाध्य किया गया था। इसलिए, जब 26.6.2019 को मसौदा वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई, तो आधिकारिक प्रत्यर्थीगण ने उसी के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित कीं, लेकिन निजी प्रत्यर्थीगण

ने आपत्तियां प्रस्तुत करने के प्रशासनिक चैनल का लाभ उठाए बिना न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

आधिकारिक प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि इस न्यायालय ने 01.02.2021 को एक अंतरिम आदेश पारित किया है जिसके द्वारा न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2020 के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद, आधिकारिक प्रत्यर्थीगण ने इस रिट याचिका के निर्णय के अधीन एक वरिष्ठता सूची जारी की। अधिवक्ता ने आगे कहा कि इसके बाद याचिकाकर्तागण को इन रिट याचिकाओं के निर्णय के अधीन पदोन्नति दी गई है। अंत में, आधिकारिक प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि डीओपीटी द्वारा 13.8.2021 को एक संशोधित कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था और पदोन्नत और सीधी भर्ती वाले लोगों के बीच अंतर-वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित निर्देश जारी किए गए थे और उसी के प्रावधान 19.11.2019 से लागू हो गए हैं।

हमने पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना है और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया है।

इस याचिका में मुद्दा यह है कि "क्या दिनांक 26.6.2019 की वरिष्ठता सूची के प्रारूप को अंतिम वरिष्ठता सूची माना जा सकता है?"

मुद्दे पर निर्णय के लिए आगे बढ़ने से पहले वरिष्ठता के नियम को लेकर कानून की हालिया स्थिति को देखना जरूरी है. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **गंगा विशन गुजराती और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2019) 16 एससीसी 28 में रिपोर्ट किया गया**, के मामले में यह निर्णय लिया गया है कि सेवा विधि के क्षेत्र में न्यायशास्त्र यह है कि पूर्वव्यापी वरिष्ठता का उस तारीख से दावा नहीं किया जा सकता जब कोई कर्मचारी सेवा में शामिल भी न हुआ हो। यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि पूर्वव्यापी वरिष्ठता को तब तक अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक न्यायालय द्वारा निर्देशित न किया जाए या लागू नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान न किया जाए। इस निर्णय के पैराग्राफ 45 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि:-

> *"45. इस न्यायालय की मिसाल की एक सुसंगत पंक्ति इस सिद्धांत का पालन करती है कि किसी कर्मचारी को पूर्वव्यापी वरिष्ठता उस तारीख से नहीं दी जा सकती जब कर्मचारी कैडर में नहीं था। एक ही ग्रेड के सदस्यों के बीच वरिष्ठता की गणना ग्रेड में प्रारंभिक प्रवेश की तारीख से की जानी चाहिए। यह सिद्धांत डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1990) 2 एससीसी 715 में रिपोर्ट किया गया, के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय से उभरता है। इस सिद्धांत को बिहार राज्य बनाम अखौरी सचिन्द्र नाथ, 1991 सप्लिमेंट (1) एससीसी 334 में रिपोर्ट किया गया और उत्तरांचल राज्य बनाम दिनेश कुमार शर्मा, (2007) 1 एससीसी 683 में रिपोर्ट किया गया, में इस न्यायालय द्वारा दोहराया गया था। पवन प्रताप सिंह बनाम रीवेन सिंह, (2011)*

3 एससीसी 267 में रिपोर्ट किया, के मामले में इस न्यायालय ने इस विषय पर उदाहरणों पर दोबारा गौर किया और यह प्रेक्षित किया:

> *"45....(i) चयन की प्रभावी तारीख को उस सेवा नियमों के संदर्भ में समझना होगा जिसके तहत नियुक्ति की गई है। इसका अर्थ वह तारीख हो सकता है जिस दिन चयन की प्रक्रिया विज्ञापन जारी होने या चयन सूची तैयार करने, जैसा भी मामला हो, के तथ्य के साथ शुरू होती है।*
>
> *(ii) किसी विशेष सेवा में परस्पर वरिष्ठता सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित की जानी है। किसी विशेष सेवा में प्रवेश की तारीख या मूल नियुक्ति की तारीख एक अधिकारी या दूसरे के बीच या विभिन्न स्रोतों से भर्ती किए गए अधिकारियों के एक समूह और दूसरे के बीच वरिष्ठता तय करने के लिए सबसे सुरक्षित मानदंड है। वैधानिक नियमों, कार्यकारी निर्देशों या अन्यथा में कोई भी विचलन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।*
>
> *(iii) आमतौर पर, काल्पनिक वरिष्ठता पिछली तारीख से नहीं दी जा सकती है और यदि ऐसा किया जाता है, तो ऐसा किया जाना वस्तुनिष्ठ विचारों और वैध वर्गीकरण पर आधारित होना चाहिए और वैधानिक नियमों के अनुरूप होना चाहिए।*
>
> *(iv) वरिष्ठता की गणना रिक्ति की तारीख से नहीं की जा सकती है और इसे पूर्वव्यापी रूप से नहीं दिया जा सकता है जब तक कि यह प्रासंगिक सेवा नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई कर्मचारी कैडर में शामिल नहीं हुआ है तो उसे पूर्वव्यापी आधार पर वरिष्ठता नहीं दी जा सकती है और ऐसा करने से उन कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिन्हें इस बीच वैध रूप से नियुक्त किया गया है।*

इसके बाद, बिहार राज्य एवं अन्य बनाम अरबिंद जी, सिविल अपील संख्या 2010 की 3767, निर्णय 28.9.2021 को हुआ, *के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा फिर से इस दृष्टिकोण का पालन किया गया जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना कि सेवा में प्रवेश की तारीख से वरिष्ठता के निर्धारण में अधिकारियों की कार्रवाई लागू कानून के अनुरूप सुसंगत पाई गई थी/ मनोहर लाल जाट एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन 956 को रिपोर्ट किया गया, के मामले में* ***माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा फिर से इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया,*** *जिसमें यह बताया गया कि* ***कैडर में वरिष्ठता संवर्ग के कर्मचारी या अधिकारी की नियुक्ति की तारीख से तय की जाएगी।***

दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने **यश रतन एवं अन्य (सुप्रा.)** के

मामले में प्रश्नाधीन मामले का निपटान निम्नानुसार किया है:

> *"16. यह तथ्य है कि वर्तमान मामले में वरिष्ठता की स्थिति अंततः तब तय नहीं हुई थी जब के. मेघचंद्र सिंह (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 13 नवंबर, 2019 को निर्णय सुनाया गया था। सूची 15 मार्च, 2018 को जारी की गई थी और इसके तुरंत बाद, उक्त वरिष्ठता सूची के विरूद्ध निजी प्रत्यर्थीगण की ओर से विभिन्न अभ्यावेदन दायर किए गए थे। जब उक्त अभ्यावेदन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो निजी प्रत्यर्थीगण ने उक्त वरिष्ठता सूची को चुनौती देते हुए कैट के समक्ष ओए दायर किया, जिससे वर्तमान याचिका उत्पन्न हुई है। वास्तव में, के. मेघचंद्र सिंह (सुप्रा.) मामले में निर्णय सुनाए जाने से पहले ओए भी दायर किया गया था। इसलिए, याचिकाकर्तागण की ओर से यह कहना गलत है कि वरिष्ठता की स्थिति तय हो गई थी और इसलिए इसे के. मेघचंद्र सिंह (सुप्रा.) के निर्णय के संदर्भ में संरक्षित किया जाना चाहिए। तदनुसार, एक बार जब वरिष्ठता सूची स्वयं कैट के समक्ष चुनौती का विषय थी, तो के. मेघचंद्र सिंह (सुप्रा.) के मामले में निर्धारित कानून को लागू करना पड़ा। के. मेघचंद्र सिंह (सुप्रा.) के निर्णय के निम्नलिखित पैराग्राफों का उल्लेख किया जा सकता है:-*
>
> > *"37. जब हम एन.आर.परमार के निर्णय को ध्यान से पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि संदर्भित ओएम (दिनांक 7-2-1986 और 3-7-1986) निर्णय में बताई गई संपत्ति नहीं थे। अंतिम निष्कर्ष के विपरीत, उक्त दो ओएम ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सीधी भर्ती की वरिष्ठता केवल नियुक्ति की तारीख से घोषित की जाएगी, न कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ओएम में दिए गए चित्रण का जिक्र करते हुए निर्णय वास्तव में उक्त चित्रण के प्रभाव को नजरअंदाज कर देता है। हमारे अनुसार, एन.आर. परमार में निकाला गया चित्रण स्वयं यह स्पष्ट करता है कि जो रिक्तियाँ किसी विशेष वर्ष (1986) में सीधी भर्ती के लिए थीं, जो अगले वर्ष (1987) में भरी गईं, उन्हें केवल अगले वर्ष की वरिष्ठता सूची में ही ध्यान में रखा जा सकता है, लेकिन 1986 जी वरिष्ठता सूची में नहीं। वास्तव में, यह दिनांक 7-2-1986 और 3-7-1986 के दो ओएम में इंगित किया गया था और यही कारण है कि सरकार ने पहले के दो ओएम के स्पष्टीकरण के माध्यम से 3-3-2008 को अगला ओएम जारी किया।*
>
> > *38. इस स्तर पर, हमें इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि न्यायालय द्वारा एन.आर. परमार के मामले में यह ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी कि चयनित उम्मीदवार को प्रशासनिक देरी और प्रक्रिया की शुरुआत और नियुक्ति के*

बीच के अंतर के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इस तरह का अवलोकन भ्रामक है क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने की तारीख पर किसी को भी चयनित उम्मीदवार के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है। उस दिन, सीधी भर्ती के लिए रिक्त पद पर नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्तियों का कोई निकाय अस्तित्व में नहीं था। जो व्यक्ति किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, उनके पास सेवा-संबंधी कोई अधिकार नहीं हो सकता है, विज्ञापन की तारीख से उनकी वरिष्ठता की गणना करने के अधिकार की तो बात ही छोड़ दें। दूसरे शब्दों में, केवल प्रक्रिया पूरी होने पर, आवेदक एक चयनित उम्मीदवार में बदल जाता है और इसलिए, एन.आर. परमार में अनावश्यक अवलोकन किया गया और यह कहा गया कि प्रशासनिक देरी के लिए चयनित उम्मीदवार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसी संदर्भ में, हम शंकरसन दाश बनाम भारत संघ में अनुपात का उपयोगी उल्लेख कर सकते हैं, जहां यह माना गया था कि पैनल में शामिल होने पर भी, कोई नियुक्त व्यक्ति कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता है।

39. एन.आर. परमार में निर्णय हमारी राय में केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित एमपीएस नियम, 1965 द्वारा शासित मणिपुर राज्य पुलिस अधिकारियों पर स्वचालित रूप से लागू नहीं हो सकते हैं। हमें यह भी लगता है कि एन.आर. परमार ने अन्य बातों के साथ-साथ, जगदीश चंद पटनायक, सूरज प्रकाश गुप्ता बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और पवन प्रताप सिंह बनाम रीवन सिंह द्वारा प्रतिपादित लंबे समय से चले आ रहे वरिष्ठता निर्धारण सिद्धांतों को गलत तरीके से अलग किया था। ये तीन निर्णय और वरिष्ठता के निर्धारण के लिए कानून पर समान व्याख्या वाले कई अन्य निर्णय यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि सेवा न्यायशास्त्र के तहत, उस तारीख से वरिष्ठता का दावा नहीं किया जा सकता है जब पदधारी को अभी तक कैडर में शामिल नहीं किया गया है। हमारी सुविचारित राय में, इस मुद्दे पर कानून जगदीश चंद पटनायक में सही ढंग से घोषित किया गया है और परिणामस्वरूप हम एन.आर. परमार में सुझाव दिए गए वरिष्ठता के मूल्यांकन के मानदंडों को अस्वीकार करते हैं। तदनुसार, एन.आर. परमार के निर्णय को अपास्त कर दिया गया है। हालाँकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस निर्णय से एन.आर. परमार पर पहले से ही आधारित पारस्परिक वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वही संरक्षित है। यह निर्णय आगामी रूप से लागू होगा, सिवाय इसके कि जहां रिक्ति की तारीख/विज्ञापन की तारीख से प्रासंगिक नियमों के तहत वरिष्ठता तय की जानी है।"

17. उपरोक्त अनुच्छेदों को पढ़ने से, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश सामने आते हैं, उन्हें संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है: -

(i) दिनांक 07.02.1986 और 03.07.1986 के ओएम को एन.आर. परमार (सुप्रा.) निर्णय में ठीक से नहीं समझा गया था। उक्त ओएम ने यह स्पष्ट कर दिया कि सीधी भर्ती की वरिष्ठता नियुक्ति की तारीख से तय की जानी थी, न कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से;

(ii) रिक्त पद पर नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्तियों के पास कोई निहित अधिकार नहीं है। चयन प्रक्रिया पूरी होने पर ही, एक उम्मीदवार चयनित उम्मीदवार बन जाता है और इसलिए, एन.आर. परमार (सुप्रा.) में निष्कर्ष का यह कहना कि प्रशासनिक देरी के लिए चयनित उम्मीदवार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, सही नहीं था;

(iii) एन.आर. परमार (सुप्रा.) ने निम्नलिखित मामलों में प्रतिपादित लंबे समय से चले आ रहे वरिष्ठता निर्धारण सिद्धांतों को गलत तरीके से अलग किया है: -

*(क) **जगदीश चौ. पटनायक बनाम उड़ीसा राज्य,** (1998) 4 एससीसी 456;*
(ख) सूरज प्रकाश गुप्ता बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य, (2000) 7 एससीसी 561; और
*(ग) **पवन प्रताप सिंह बनाम रीवन सिंह,** (2011) 3 एससीसी 267*

(iv) सेवा न्यायशास्त्र में, उस तारीख से वरिष्ठता का दावा नहीं किया जा सकता है जब पदधारी को कैडर में शामिल होना बाकी है और इसलिए, एन.आर. परमार (सुप्रा.) मामले में सुझाए गए परस्पर वरिष्ठता के मूल्यांकन पर मानदंड को अस्वीकृत कर दिया गया;

(v) एन.आर. परमार (सुप्रा.) मामले में निर्णय को अपास्त कर दिया गया है, हालांकि यह निर्णय एन.आर. परमार (सुप्रा.) मामला पर पहले से ही आधारित पारस्परिक वरिष्ठता को प्रभावित नहीं करेगा और वही संरक्षित है। निर्णय आगामी प्रभाव से लागू होगा।

18. इसलिए, हमारे विचार में कैट ने वर्तमान मामले में के. मेघचंद्र सिंह (सुप्रा.) मामले में दिए गए आदेश को सही ढंग से लागू किया है और वरिष्ठता सूची को इस हद तक रद्द करने के लिए आगे बढ़ा है कि इसने याचिकाकर्तागण को निजी प्रत्यर्थीगण

से ऊपर रखा है। तथ्य यह है कि कैट का निर्णय पदोन्नत लोगों और सीधी भर्ती (याचिकाकर्तागण) के बीच पारस्परिक वरिष्ठता को प्रभावित करेगा, यह वर्तमान याचिका का विषय नहीं है, और इसलिए, इसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं है। यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्तागण की नियुक्ति के लिए अनुरोध 11 फरवरी, 2015 को भर्ती प्राधिकारी एसएससी को भेजे गए थे, जब निजी प्रत्यर्थी पहले ही दिल्ली आयुक्तालय में शामिल हो चुके थे। इसलिए, 4 मार्च, 2014 के ओएम के संदर्भ में भी, याचिकाकर्तागण को निजी प्रत्यर्थीगण से ऊपर नहीं रखा जा सकता है।''

याचिकाकर्तागण का पूरा मामला कार्यालय ज्ञापन (संक्षेप में 'ओएम') दिनांक 4.3.2014 के खंड 5 (घ) पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि भर्ती वर्ष एक रिक्ति वर्ष के विरूद्ध भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का वर्ष होगा और यह कार्यालय ज्ञापन एन.आर. परमार (सुप्रा.) के मामले में दिए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आधारित है।

याचिकाकर्तागण के अनुसार, ईएसआईसी विभाग द्वारा एलडीसी के पद के लिए 4.12.2015 को विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके द्वारा रिक्तियों को अधिसूचित किया गया था और मार्च 2016 के महीने में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके अनुसार, 29.12.2017 एवं 1.1.2018 को क्रमशः याचिकाकर्तागण का चयन किया गया और राजस्थान क्षेत्र में नियुक्ति दी गई। जबकि निजी प्रत्यर्थीगण को वर्ष 2011/2012/2013 में गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र क्षेत्रों में ईएसआई निगम में एलडीसी के पद पर चयनित और नियुक्त किया गया था, लेकिन अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण नीति के तहत उन्हें अगस्त/अक्टूबर 2016 के महीने में राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था और उन सभी को वर्ष 2016 की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्तागण के अनुसार, दिनांक 4.3.2014 के ओएम के अनुसार, वे निजी प्रत्यर्थीगण से वरिष्ठ हैं क्योंकि उनकी भर्ती प्रक्रिया 4.12.2015 को शुरू की गई थी। जब 26.6.2019 को वरिष्ठता सूची का मसौदा जारी किया गया, तो याचिकाकर्तागण को उचित रूप से निजी प्रत्यर्थीगण से ऊपर रखा गया था।

याचिकाकर्तागण का मामला यह है कि इस दिनांक 26.6.2019 की इस मसौदा वरिष्ठता सूची के विरूद्ध 26.7.2019 तक आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं और यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि यदि 26.7.2019 तक कोई आपत्ति/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है, तो इस मसौदा वरिष्ठता सूची को अंतिम वरिष्ठता सूची के रूप में माना जाएगा। चूंकि निजी प्रत्यर्थीगण ने अपना पहला अभ्यावेदन 22/07/2019 को और दूसरा अभ्यावेदन 22.11.2019 को अर्थात कट ऑफ तिथि के बाद प्रस्तुत किया था, इसलिए, दूसरा अभ्यावेदन दिनांक 22.11.2019 सीमा से बाहर था और मसौदा वरिष्ठता सूची दिनांक 26/06/2019 अंतिम वरिष्ठता सूची बनी। इसलिए, एन.आर. परमार के (सुप्रा.) के मामले के आधार पर याचिकाकर्तागण की परस्पर वरिष्ठता के. मेघचंद्र सिंह (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 40 के अनुसार संरक्षित

रही।

याचिकाकर्तागण की ऐसी दलीलों में कोई दम नहीं है क्योंकि एन.आर. परमार (सुप्रा.) के निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 19.11.2019 को के. मेघचंद्र सिंह (सुप्रा.) के मामले में अपास्त कर दिया गया था और के. मेघचंद्र सिंह (सुप्रा.) के निर्णय तक, निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर की गई आपत्तियाँ मसौदा वरिष्ठता सूची लंबित थी और उस पर 11.3.2020 तक भी निर्णय नहीं लिया गया था और 11.3.2020 तक भी आधिकारिक प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई अंतिम वरिष्ठता सूची जारी नहीं की गई थी। अतः 19.11.2019 के बाद एन.आर. परमार (सुप्रा.) का निर्णय और आधिकारिक प्रत्यर्थीगण द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश ने अपना मूल्य खो दिया क्योंकि एन.आर. परमार (सुप्रा.) का निर्णय अभिभावी हो गया। इसलिए, याचिकाकर्ता दिनांक 26.6.2019 की मसौदा वरिष्ठता सूची के आधार पर किसी भी अधिकार या लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं।

किसी मसौदा वरिष्ठता सूची को कभी भी अंतिम वरिष्ठता सूची नहीं माना जा सकता क्योंकि वरिष्ठता सूची में स्थान किसी कर्मचारी की सेवा शर्तों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रत्येक कर्मचारी को अपनी पात्रता के अनुसार संवर्ग की वरिष्ठता सूची एवं उचित स्थान पर अपना नाम सम्मिलित कराने का अधिकार है। इसके अलावा, वरिष्ठता स्थिति और अंतिमता की निश्चितता होनी चाहिए। वरिष्ठता सूची में स्थान, दर्जे में और अधिक उन्नति और सेवा के उच्च सोपानों तक पहुँचने का अवसर निर्धारित करता है। जैसे-जैसे कर्मचारी पिरामिड संरचना में ऊंचे पदों पर आगे बढ़ते हैं, पदोन्नति का दायरा कम होता जाता है। वरिष्ठता सूची में एक स्थान ऊपर या नीचे बदलने से व्यापक प्रभाव पड़ेगा। चूंकि वरिष्ठता नियुक्ति एक मूल्यवान अधिकार है, इसलिए वरिष्ठता पदों को निर्धारित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है। पदों का निर्धारण करते हुए अनंतिम वरिष्ठता सूची निकालना एवं आपत्तियां मंगाना आवश्यक है। आपत्तियां दाखिल होने पर उन पर विचार करना होगा और फिर अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति अनंतिम वरिष्ठता सूची में उसे दिए गए पद से संतुष्ट है तो उसे अपनी आपत्तियां दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी कर्मचारी की आपत्ति स्वीकार करने से वरिष्ठता और वरिष्ठता सूची में स्थान निर्धारित करने के सिद्धांत में पर्याप्त बदलाव आएगा, तो प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों को नोटिस देना आवश्यक है।

एक मसौदा वरिष्ठता सूची को कभी भी अंतिम वरिष्ठता सूची नहीं माना जा सकता क्योंकि वरिष्ठता सूची में स्थान किसी कर्मचारी की सेवा शर्तों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रत्येक कर्मचारी को अपनी पात्रता के अनुसार संवर्ग की वरिष्ठता सूची एवं उचित स्थान पर अपना नाम सम्मिलित कराने का अधिकार है। इसके अलावा, वरिष्ठता स्थिति और अंतिमता की निश्चितता होनी चाहिए। वरिष्ठता सूची में स्थान स्थिति में और अधिक उन्नति और सेवा के उच्च सोपानों तक पहुँचने का अवसर निर्धारित करता है। जैसे-जैसे कर्मचारी पिरामिड संरचना में ऊंचे पदों पर आगे बढ़ते हैं, पदोन्नति का दायरा कम होता जाता है। वरिष्ठता सूची में एक स्थान ऊपर या नीचे बदलने से व्यापक प्रभाव पड़ेगा। चूंकि वरिष्ठता नियुक्ति एक मूल्यवान अधिकार है, इसलिए वरिष्ठता पदों को निर्धारित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है। पदों का निर्धारण करते हुए अनंतिम

वरिष्ठता सूची निकालना एवं आपत्तियां मंगाना आवश्यक है। आपत्तियां दाखिल होने पर उन पर विचार करना होगा और फिर अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति अनंतिम वरिष्ठता सूची में उसे दिए गए पद से संतुष्ट है तो उसे अपनी आपत्तियां दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी कर्मचारी की आपत्ति स्वीकार करने से वरिष्ठता और वरिष्ठता सूची में स्थान निर्धारित करने के सिद्धांत में पर्याप्त बदलाव आएगा, तो प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों को नोटिस देना आवश्यक है।

श्री आदिल रशीद सिद्दीकी बनाम भारत संघ एवं अन्य, डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 393/2012, 20.1.2012 को निर्णय लिया गया में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह निर्णय दिया कि मसौदा वरिष्ठता सूची का उपयोग करने का उद्देश्य उन लोगों, यदि कोई हो, के लिए एक अवसर है जिनके नाम सूची में हैं, उनके संबंध में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करना है। सूची में उनके स्थान की. वरिष्ठता सूची के प्रारूप में दर्शाई गई नियुक्तियों के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही विभाग द्वारा अंतिम सूची तैयार कर जारी की जा सकेगी।

यहां इस मामले में विभाग ने 26.6.2019 को केवल एक मसौदा वरिष्ठता सूची जारी की और इस मसौदा वरिष्ठता सूची के विरूद्ध आपत्तियां/अभ्यावेदन आमंत्रित किए और निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा आपत्तियां 22.7.2019 को अर्थात 26.7.2019 को निर्धारित अंतिम तारीख से पहले प्रस्तुत की गईं, लेकिन विभाग द्वारा निर्णय नहीं लिया गया और इसी बीच 19.11.2019 को के मेघचंद्र सिंह (सुप्रा.) का निर्णय आया जिसके द्वारा एन.आर. परमार (सुप्रा.) के निर्णय को अपास्त किया गया। निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा 22.11.2019 को तुरंत इस निर्णय को विभाग के ध्यान में लाया गया। इसके बाद, निजी प्रत्यर्थीगण ने मूल आवेदन संख्या 291/777/2019 दाखिल करके न्यायाधिकरण से संपर्क किया, जिसमें उन्होंने दिनांक 26.6.2019 के मसौदा/अस्थायी वरिष्ठता सूची को चुनौती दी। चूंकि निजी प्रत्यर्थीगण की आपत्तियों पर निर्णय नहीं लिया गया था और वे लंबित थीं, इसलिए न्यायाधिकरण ने उनके मूल आवेदन को दिनांक 20.12.2019 के आदेश के तहत यह कहते हुए अपास्त कर दिया कि उन्होंने अस्थायी वरिष्ठता सूची को चुनौती दी है, इसलिए, उनका मूल आवेदन समय से पहले है। अंततः, निजी प्रत्यर्थीगण के अभ्यावेदन/आपत्तियों पर विभाग द्वारा 11.3.2020 को निर्णय लिया गया और यह देखते हुए इसे अपास्त कर दिया गया कि डीओपीटी से कोई संशोधित निर्देश/दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

बाद में, निजी प्रत्यर्थीगण ने इस मसौदा वरिष्ठता सूची दिनांक 11.3.2020 को न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी और **के. मेघचंद्र सिंह (सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में नई वरिष्ठता सूची जारी करने के लिए विभाग को निर्देश जारी करने की प्रार्थना की।

चूँकि दिनांक 26.6.2019 और 11.3.2020 की दोनों सूचियाँ मसौदा/ अस्थायी/अनंतिम वरिष्ठता सूची थीं और विभाग द्वारा कोई अंतिम सूची जारी नहीं की गई थी, इसलिए बिना किसी कल्पना के यह माना जा सकता है कि

मसौदा वरिष्ठता सूची दिनांक 26.6.6. 2019 अंतिम वरिष्ठता सूची थी। चूंकि इस प्रारूप/अस्थायी वरिष्ठता सूची के विरूद्ध निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा 22.7.2019 और 22.11.2019 को प्रस्तुत आपत्तियां/अभ्यावेदन लंबित थे, जिन पर अंततः 11.3.2020 को निर्णय लिया गया। इसके बाद, न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 15.12.2020 का आक्षेपित आदेश पारित होने तक कोई अंतिम वरिष्ठता सूची जारी नहीं की गई थी। अतः दिनांक 26.6.2019 की प्रारूप वरिष्ठता सूची को अंतिम वरिष्ठता सूची नहीं माना जा सकता। इस प्रकार न्यायाधिकरण ने **के. मेघचंद्र सिंह (सुप्रा.)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों सहित वर्तमान कानूनी स्थिति के आलोक में वरिष्ठता सूची के मसौदे पर फिर से विचार करने और एक अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित करने के लिए आधिकारिक प्रत्यर्थीगण को निर्देश जारी करने में कोई अवैधता नहीं की है।

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता की दलीलों में कोई दम नहीं है कि निजी प्रत्यर्थीगण ने अपने मूल आवेदन में न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी दलीलों में स्वीकार किया है कि वरिष्ठता सूची के मसौदे पर उनकी आपत्तियों को पहले ही 11.3. 2020 को एक और मसौदा वरिष्ठता सूची जारी करते समय अपास्त कर दिया गया है और इसलिए, उक्त मसौदा वरिष्ठता सूची दिनांक 11.3.2020 उनके संबंध में अंतिम है। इस तरह की दलीलें निजी प्रत्यर्थीगण की ओर से स्वीकारोक्ति के समकक्ष नहीं हैं क्योंकि मसौदा वरिष्ठता सूची को कभी भी अंतिम वरिष्ठता सूची के रूप में नहीं माना जा सकता है। हमारी सुविचारित राय में, अभ्यावेदन/आपत्तियों के निस्तारण के बाद एक अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की जानी है और यहां इस मामले में माना जाता है कि 11.3.2020 को निजी प्रत्यर्थीगण के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के बाद विभाग द्वारा कोई अंतिम वरिष्ठता सूची जारी नहीं की गई थी।

यहां ऊपर की गई चर्चाओं के मद्देनजर, इस याचिका में कोई बल नहीं है और इसे अपास्त किया जाता है।

स्थगन आवेदन और सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, भी अपास्त कर दिये जाते हैं।

खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।

(अनूप कुमार ढांड), न्यायमूर्ति **(प्रकाश गुप्ता), न्यायमूर्ति**

Sharma NK/11

टिप्पणीः इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।
अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।